...लय तहसीलदार बसवा जिला–दौसा (राजस्थान)

निर्णय

मिसल नम्बर ....06/24.......... निर्णय दिनांक : ....08/08/2024..........

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार सम्वत् 2081 फसल रबी/खरीफ में आराजी खसरा नम्बर ....407.......... रकबा ....0·01.......... हैक्टेयर किस्म चरागाह/सिवायचक मौजा ....संबडावली..........पर श्री ....रत्याली.......... पुत्र श्री ....कल्याणसहाय.......... जाति ....प्रजापत (कुम्हार).......... निवासी ....संबडावली.......... तहसील बसवा ने ....टीनव कब्जा भूमि.......... काश्त कर अतिचार किया है।

इस गैरसायल को रा.ले.रे. एक्ट 1956 की धारा 91(3) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस की तामील में गैरसायल हाजिर आया। चूंकि भूमि नियमन योग्य नहीं है। अतः आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी से गैरसायल को बेदखल किया जाता है एवं लगान दर रूपये ....0·16.......... का 50 गुणा से ....8.......... रू. बतौर शास्ति कायम की जाती है। वसूली/बेदखली/खडी फसल को नियमानुसार नीलाम कर फर्द नीलामी/फर्द बेदखली पेश करने हेतु भू.अ.नि./पटवारी हल्का को लिखा जावें। कायमी दर्ज करने हेतु पत्रावली टी.आर.ए. को दी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

(stamp) ...दिनांक 8.8.24 ... के अनुसार ... शास्ति 8/2 ... वर्ष 2024-25 ... पृष्ठ संख्या 373 ... अंकित की गई है।

(signature)

तहसीलदार बसवा
जिला– दौसा

(stamp) तहसीलदार बसवा जिला-दौसा